




न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 134/2016 बउनवानी बजरंगा पुत्र गोपी बनाम तहसीलदार सवाईमाधोपुर
जाति मीना निवासी ग्राम सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर
उप0-1. श्री कमलेश गुर्जर, वकील अपीलान्ट 2. श्री छोटू सिंह गुर्जर पैरोकार राजस्व

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नया जलकाम जे सुदन की लगील न जरी हुकम |
|---------------|---|---|
| 11.2.2017 | <p>राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत सुलह समझौते की भावना से निस्तारण हेतु चिह्नित होने के कारण यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। अपीलान्ट स्वयं, वकील अपीलान्ट, पैरोकार राजस्व एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के सदस्यगण उपस्थित है। सुलह समझौते के तहत दौराने सुनवायी वकील अपीलान्ट ने कथन किया है कि अदालत मातहत द्वारा मिसल संख्या 563/2015 में ग्राम सूरवाल बी की आराजी संख्या 5403 रकबा 0.15 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह की भूमि में सम्वत् 2072 खरीफ में उडद की फसल काशत करना अंकित करते हुये अतिकमणी माना है एवं दिनांक 7.10.2015 को आदेश जैर अपील पारित कर 90 दिवस की सिविल कारावास से सजा से दण्डित किया है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा विवादित अतिकमित भूमि पर से अपना अतिकमण हटा लेने एवं भविष्य में पुनः अतिकमण नही करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है, साथ ही आदेश जैर अपील के तहत अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ करने बाबत भी निवेदन किया है, इस सम्बन्ध में पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया हे कि यद्यपि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अतिकमण हटा लेने व पुनः अतिकमण नही करने के आशय की अन्डर टेकिंग प्रस्तुत कर दी है, किन्तु सिविल कारावास की सजा माफ करने से पूर्व कब्जा हटा लेने बाबत भौतिक सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सिविल कारावास की सजा को सशर्त स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में अपनी और से अनापत्ती प्रस्तुत की गयी।</p> <p>उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पैरोकार द्वारा प्रस्तुत-तर्क विधि अनुरूप है, अतः अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक स्वीकार की जाती है कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर मौके पर जाँच कर यह सुनिश्चित करें कि यदि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अपना अतिकमण हटा लिया हो तो आदेश जैर अपील द्वारा अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ समझी जावे एवं यदि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर अतिकमण वर्तमान में भी पाया जाता है तो आदेश जैर अपील यथावत रहेगा। पत्रावली आज दिनांक 11.2.2017 फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे । आज्ञा सुनायी गयी ।</p> | |


श्री सुन्दर कुमार गुप्ता
सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत


श्री वट्टी लाल बैरवा
सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत


(के.सी.वर्मा)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर